

- 113 -

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0- 42 / 2016-17 / 04^{कृषि विभाग} / मत्स्य, राँची, दिनांक 16/11/2017

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

*अनौपचारिक रूप द्वारा:-
से परामर्शित

विषय-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रिवोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 : केन्द्रांश 50) हेतु कुल राशि मो0 4600.00 लाख (छियालीस करोड़) रू0 की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजट के तहत मो0 1600.00 लाख (सोलह करोड़) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश संख्या - 23 दिनांक 29.03.2017 एवं ऑनलाईन राज्यादेश संख्या 2815 एवं 2816 दिनांक 28.03.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 दिनांक के द्वारा मॉग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना ब्लू रिवोल्यूशन योजना (राज्यांश 50 : केन्द्रांश 50) हेतु कुल राशि मो0 4600.00 लाख (छियालीस करोड़) रू0 की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजट के अंतर्गत मो0 1600.00 लाख (सोलह करोड़) रू0 मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों में केज का अधिष्ठापन कर गहन मछली उत्पादन किया जाएगा। आर0एफ0एफ0 कम्पोनेंट के अंतर्गत जलाशय अथवा नदियों में सुयोग्य स्थल पर उचित स्पेशिफिकेशन के जाल से घेरा बनाकर सघन मछली पालन किया जाएगा।

यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें योजना की आधी राशि भारत सरकार द्वारा एवं आधी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

2. इस योजना की कुल लागत मो0 4600.00 लाख रू0 मात्र है जिसमें से राज्यांश मद से मो0 2300.00 लाख एवं केन्द्रांश मद से समतुल्य मो0 2300.00 लाख रू0 के व्यय की स्वीकृति प्राप्त है। केन्द्र सरकार के पत्र सं0 31013/30/2016-fy (3) दिनांक 09.03.2017 द्वारा इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न रूप में दी गई है-




13/11/17

(राशि लाख रु० में) -112-

क्र०	कार्य	प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	कुल राशि	केन्द्रांश	राज्यांश
क	केज एक्वाकल्चर				
	जलाशयों में केज अधिष्ठापन तथा प्रथम फसल इनपुट	1000 केज	3000.00	1500.00	1500.00
ख	रिवेराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग (आर०एफ०एफ०) – इनोवेटिव कम्पोनेन्ट				
	आर०एफ०एफ० / पेन कल्चर (इनपुट सहित)	360	1080.00	540.00	540.00
ग	आवास योजना (कल्याणकारी)				
	मछुआरों के लिए आवास	417	500.40	250.20	250.20
घ	आकस्मिकता				
	आकस्मिकता व्यय		20.00	10.00	10.00
	कुल :		4600.40	2300.20	2300.20

3. (क) इस केन्द्र प्रायोजित योजना (50 : 50) में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपर्युक्त कंडिका-2 के विरुद्ध व्यय निम्न प्रकार हुआ है -

(राशि लाख में)

क्र०	कम्पोनेन्ट	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	मछुआरों के लिए आवास (राज्यादेश सं० 15 दिनांक 06.10.2016)	241.80	243.00	484.80
2	केज एक्वाकल्चर (राज्यादेश सं० 23 दिनांक 29.03.2017)	447.00	447.00	894.00
	कुल	688.80	690.00	1378.80

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत बजट उपबंध में ब्लू रिवोल्यूशन योजना अन्तर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

उपलब्ध बजट के अन्तर्गत केन्द्रांश 50 : राज्यांश 50 के अनुपात में निम्न रूप से लघु शीर्ष/विस्तृत शीर्षवार स्वीकृति दी जाती है -

(राशि लाख रु० में)

क्रमांक	माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष, मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री(राज्यांश) 53 S 240500101620323	315.00	315.00	शून्य
2	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53 S 240500101620759	5.00	5.00	शून्य
3	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500101620323	474.00	315.00	159.00

कृति
04 रा (विभाग)
16/11/2017

13/11/17

4	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (केन्द्रांश) 53 C 240500101620759	6.00	5.00	1.00
5	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23- आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500789620323	80.00	80.00	शून्य
6	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500789620323	120.00	80.00	40.00
7	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना - विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (राज्यांश) 53 S 240500796620323	395.00	395.00	शून्य
8	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना - विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय (राज्यांश) 53 S 240500796620759	5.00	5.00	शून्य
9	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53 C 240500796620323	592.00	395.00	197.00
10	मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना -उप शीर्ष-62-नई योजना-ब्लू रिवोल्यूशन योजना - विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59- अन्य व्यय (केन्द्रांश) 53 C 240500796620759	8.00	5.00	3.00
योग:		2000.00	1600.00	400.00

(सोलह करोड़) रु मात्र।

तत्काल बजट उपबंध में प्राप्त राशि के अन्तर्गत ही भारत सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के आलोक में केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में 50:50 के अनुपात में राशि का व्यय किया जाएगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्यांश मद में प्राप्त बजट उपबंध ओएसपीओ-मो 320.00 लाख रु, एससीएसपीओ-मो 80.00 लाख रु एवं टीएसपीओ- मो 400.00 लाख रु (मो 800.00 लाख रु) तथा केन्द्रांश मद में लघु शीर्षवार समतुल्य (मो 800.00 लाख रु) अर्थात् कुल मो 1600.00 लाख रु मात्र का व्यय किया जाएगा। केन्द्र सरकार से विमुक्त एवं अव्यवहृत शेष राशि हेतु अलग से झारखण्ड आकस्मिकता निधि/अनुपूरक आगणक द्वारा बजट प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

लक्ष्मी
04 राठ (विभागा)
16/11/2017

13/11/17

4. जलाशयों के विस्थापित, जलाशय स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य/झारखण्ड राज्य मत्स्य सहकारी संघ (झास्कोफिश) इस योजना के लाभुक होंगे।

5. (क) एक बैटरी के दो केज पर अधिकतम व्यय 3.00 लाख रु0 मात्र का होगा जिसमें 2.49 लाख रु0 मात्र के जी0 आई0 पाईप केज के अधिष्ठापन में एवं 0.51 लाख रु0 मात्र इनपुट पर व्यय होंगे। केज तथा इनपुट की शेष राशि लाभुक के द्वारा व्यय की जायेगी। लाभुकों को राज्य में उत्पादित फीड अनुदान पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण नहीं हो।

(ग) विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निरूपित मार्ग दर्शिका/परिपत्रों में सन्निहित निदेशों/शर्तों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाय।

6. आर0एफ0एफ0 के तकनीकी पहलू पर एस0ओ0पी0 निर्गत है तथा निदेशक मत्स्य इसमें अलग से भी जाल आदि का स्पेशिफिकेशन निर्धारित करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु निदेश जारी करेंगे। यथा संभव जलाशयों में 120 मी0 लम्बा गुणा 5 मी0 चौड़ा आर0एफ0एफ0 का (ड्रम, जाल आदि के साथ) इनपुट व्यय सहित इकाई लागत अधिकतम मो0 3.00 लाख रु0 मात्र अनुमानित है। व्यय निश्चित रूप से इस सीमा के अधीन ही किया जायेगा।

7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/पश्चिमी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा/पूर्वी सिंहभूम तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसाँवा/सिमडेगा/रामगढ़/खूँटी/जामताड़ा तथा कोडरमा होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

8. इस योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में केन्द्र सरकार, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्रांक 31013/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 10.08.2016 द्वारा मो0 750.00 लाख रु0 एवं पत्रांक 31013/30/2016-एफ0वाई0(3) दिनांक 09.03.2017 द्वारा मो0 1550.20 लाख अर्थात् कुल मो0 2300.20 लाख रु0 विमुक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय की गई केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को प्रेषित है।

9. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।

11. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य तथा सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना में राज्यांश एवं केन्द्रांश मिलाकर कुल मो0 1378.80 लाख रु0 मात्र व्यय हुए हैं, अग्रिम की निकासी नहीं की गई है एवं राशि का समायोजन लंबित नहीं है।


सचिव

04रा0(विक्रम0)
16/11/2017

13/11/17


13. विषयगत उपयोगान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय पश्चात् प्राप्त भौतिक उपलब्धि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही निदेशक मत्स्य द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटन निर्गत किया जायेगा।
14. राज्य योजना प्राधिकृत समिति के ज्ञापांक 81/17 दिनांक 27.03.2017 द्वारा योजना की स्वीकृति एवं दिनांक 28.03.2017 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-15 के माध्यम से योजना की स्वीकृति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन


13/11/17
(पूजा सिंघल)


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक **04 रा० (विभाग)** मत्स्य / राँची, दिनांक **16/11/2017**
 प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/11/17


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक **04 रा० (विभाग)** मत्स्य / राँची, दिनांक **16/11/2017**
 प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/11/17

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक **04 रा० (विभाग)** मत्स्य / राँची, दिनांक **16/11/2017**
 प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा एवं योजना शाखा) झारखण्ड, राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


13/11/17

सरकार के सचिव।




13/11/17

201

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि हेतु केन्द्र प्रायोजित ब्लू रिभोल्व्यूशन योजना का भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (लाख रु० में) लक्ष्य

क्र०	जिला	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना									लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना							लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन							केन्द्रांश से कुल व्यय	राज्य योजना से कुल व्यय				
		आपूर्ति एवं सामग्री									आपूर्ति एवं सामग्री			अन्य व्यय	कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री			अन्य व्यय	कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय						
		दो केज के एक बैटरी का अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय	आर०एफ० एफ० इनपुट सहित		कुल वित्तीय लक्ष्य	केन्द्रांश से व्यय	राज्य योजना से व्यय	दो केज के एक बैटरी का अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय	आर०एफ० एफ० इनपुट सहित					दो केज के एक बैटरी का अधिष्ठापन		केज इनपुट पर व्यय							आर०एफ० एफ० इनपुट सहित			
		मौ०ल०	वि०ल०	वि०ल०	मौ०ल०	वि०ल०				मौ०ल०	वि०ल०	वि०ल०	मौ०ल०	वि०ल०	वि०ल०	मौ०ल०	वि०ल०	मौ०ल०	वि०ल०	वि०ल०	मौ०ल०	वि०ल०	वि०ल०							
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	रौंची	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	16	39.84	8.16	20	60.00	0.80	108.80	54.40	54.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40	57.40
2	खूँटी	2	4.98	1.02	2	6.00	12.00	6.00	6.00	8	19.92	4.08	10	30.00	0.80	54.80	27.40	27.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.40	33.40	
3	गुमला	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	10	24.90	5.10	12	36.00	0.80	66.80	33.40	33.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	
4	लोहरदगा	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	10	24.90	5.10	12	36.00	0.80	66.80	33.40	33.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	
5	सिमडेगा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	16	39.84	8.16	12	36.00	0.80	84.80	42.40	42.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	
6	साहेबगंज	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	0	0.00	0.00	4	12.00	0.80	12.80	6.40	6.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.40	42.40	
7	चाईबासा	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	20	49.80	10.20	14	42.00	0.80	102.80	51.40	51.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	
8	सरायकेला	8	19.92	4.08	4	10.00	34.00	17.00	17.00	30	74.70	15.30	26	76.00	0.80	166.80	83.40	83.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.40	54.40	
9	दुमका	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20	49.80	10.20	12	36.00	0.80	96.80	48.40	48.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40	100.40	
10	जमशेदपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6	18.00	0.80	18.80	9.40	9.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.40	48.40	
11	जामताड़ा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6	18.00	0.80	18.80	9.40	9.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	
12	गोड्डा	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	6	18.00	0.80	18.80	9.40	9.40	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40	9.40	
13	हजारीबाग	8	19.92	4.08	2	6.00	30.00	15.00	15.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	10	30.00	0.80	30.80	15.40	15.40	15.40	15.40	
14	देवघर	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31	77.19	15.81	10	30.00	0.80	76.80	38.40	38.40	53.40	53.40	
15	रामगढ़	4	9.96	2.04	2	6.00	18.00	9.00	9.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	37.35	7.65	10	30.00	0.80	123.80	61.90	61.90	64.90	64.90	
16	बोकारो	4	9.96	2.04	2	6.00	18.00	9.00	9.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	12	34.00	0.80	64.80	32.40	32.40	46.90	46.90	
17	गिरिडीह	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	10	30.00	0.80	60.80	30.40	30.40	41.40	41.40	
18	चतरा	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	10	30.00	0.80	60.80	30.40	30.40	30.40	30.40	
19	धनबाद	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	10	30.00	0.80	60.80	30.40	30.40	33.40	33.40	
20	कोडरमा	0	0.00	0.00	2	6.00	6.00	3.00	3.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	24.90	5.10	16	46.00	0.80	76.80	38.40	38.40	38.40	38.40	
21	मत्स्य निदेशालय	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	1.20	1.20	0.60	0.60	0	0.00	0.00	0	0.00	2.80	2.80	1.40	1.40	2.00	2.00	
	कुल :	26	64.74	13.26	28	82.00	160.00	80.00	80.00	130	323.70	66.30	134	400.00	10.00	800.00	400.00	400.00	106	263.94	54.06	106	312.00	10.00	640.00	320.00	320.00	800.00	800.00	

2/11/17
04 राज्य (विभाग)
16/11/17 कात्र

13/11/17

(पूजा सिंघल)
सरकार के सचिव